


हिससा सर्व काबला के अनुसार अपने हिस्से की प्रामे
का विधिवत विभाजन करवाने के आदिकारी है।

आदेश

वाइस सूचीकार किया जा रहा है तथा प्राथमिक डिप्टी
इस आदेश की ही जाती है कि प्रामे टीएनवाड की सरहद
में स्थित प्रामे खण्ड 1117 बलका 0.79 है. का वादी
सर्व प्रतिवादी गण के मध्य शपथ रिपोर्ट में दर्ज
हिससा सर्व काबला के अनुसार रास्ते का प्रावधान
करते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश
दिया जा रहा है। तदनुसार तदधीनकार उदभपुरवादी
उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार
करें तथा मम नक्शा के दो प्रतिभों में न्यायालय
हाला में प्रस्तुत करें। डिप्टी पचा पारी हो।

प्रामे वकील को सल भुगत कर होकर नक्शे के काम हो तथा
मम नक्शा के दो प्रतिभों में न्यायालय हाला में वाद
तकमील दाखिल रहकर हो।

निर्णय आदेश दिनांक 7.6.18 को कोर्ट में टीएनवाड
में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (कानून)